न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
उपस्थितः– हनी गोयल (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP2408)
सत्र वाद संख्या– 145/2025
सरकार बनाम जफरुद्दीन आदि।

दिनांकः– 25.02.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण रफफुद्दीन, जफरुद्दीन उपस्थित। अभियुक्तगण सुहेल, निशार व समीर की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत, केवल आज के लिए स्वीकृत। उपस्थित। प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थना पत्र 5 ख अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि "वाद उपरोक्त पी०डब्ल्यू०– 1 फजरूददीन पुत्र स्व० रहीसुददीन व पी०डब्ल्यू०– 2 सुल्तान पुत्र स्व० रहीसुददीन का साक्ष्य हो चुका है। वाद उपरोक्त में जो अभियुक्तगण बनाये गये हैं, वह भी इसी ग्राम में रहते हैं और अभियुक्तगण के नाम के अन्य व्यक्ति भी गांव में रहते हैं, जिस कारण पी०डब्ल्यू० –1 व पी०डब्ल्यू०– 2 के साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उक्त घटना किस व्यक्ति द्वारा घटित की गयी है और वह व्यक्ति कौन व्यक्ति है। इसलिये पी०डब्ल्यू०– 1 व पी०डब्ल्यू०– 2 से साक्ष्य हेतु पुनः न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक है, ताकि साक्ष्य में यह स्पष्ट हो सके कि उक्त घटना प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा घटित की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का प्रार्थनापत्र 311 सीआर०पी०सी० न्यायहित में स्वीकार किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी/अभियुक्तगण पी०डब्ल्यू०– 1 व पी०डब्ल्यू०– 2 साक्षी से निम्न प्रश्न पूछने की अनुमति की आवश्यकता है–

1– क्या आप हाजिर अदालत अभियुक्तगणो को जानते हैं।
2– यह अभियुक्तगण कहां रहते है।
3– क्या यह वही अभियुक्तगण हैं जिन्होंने यह घटना कारित की है, या अन्य व्यक्तियों ने यह घटना कारित की है।
4– गांव में अभियुक्तगण के नाम के अन्य व्यक्ति हैं।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण का प्रार्थनापत्र 311 सीआर०पी०सी० स्वीकार कर निम्न प्रश्न पूछने की अनुमति देने की कृपा करें। आकी अति कृपा होगी।"

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा मौखिक बहस में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त गवाह से विस्तृत जिरह की जा चुकी है। अब पुनः उसे अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा हेतु रिकॉल किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र गवाह को परेशान व मामले को लंबित रखे जाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की कृपा करें।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली में पी०डब्ल्यू०–01 व पी०डब्ल्यू०–02 को परीक्षित कराया गया है। पी०डब्ल्यू०–01 व पी०डब्ल्यू०–02 का संपूर्ण साक्ष्य पत्रावली पर हो चुका है और बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पी०डब्ल्यू०–01 व पी०डब्ल्यू०–02 से विस्तृत जिरह भिन्न–भिन्न दिनांकों को की जा चुकी है, जिनमें उपरोक्त सभी प्रश्न समाहित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बचाव पक्ष की तरफ से यह प्रार्थना पत्र मामले में मात्र देरी किये जाने तथा दूरगामी हेतुक साधने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। मामले के तथ्यों, परिस्थितियों में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 5 ख अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 5 ख अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 12.03.2026 को पेश हो।

(हनी गोयल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एसी०सी०/एस०टी० एक्ट,
हापुड़।

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2026.03.10 16:45:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court